राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन जे.एल.एन.मार्ग जयपुर (राज.)

110

क्रमांकः एफ 2(9) अ.सं.निदे. / कन्या छात्रावास संचालन / 2010–11 / 7580 जयपुर, दिनांकः 10-6-2016

आदेश

वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट के पैरा संख्या 107.0.0 पर की गई घोषणा के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित विद्यालय / महाविद्यालय स्तरीय राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र / छात्राओं हेतु छात्रावास की मैस भत्ते की राशि 1900 / – प्रति छात्र / छात्रा प्रति माह को बढ़ाकर 2000 / –प्रति छात्र / छात्रा प्रति माह करने की राज्य सरकार की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त बढ़ी हुई दरें दिनांक 01.07.2016 से लागू होगी तथा प्रति शैक्षणिक सत्र के लिए मैस भत्ते की राशि अधिकतम 9½ माह हेतु देय होगी। बढ़ी हुई दरों का मदवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	मद	संशोधित दरें (प्रतिमाह)	संशोधित दर अनुसार (प्रति छात्र / छात्रा 9½ माह हेतु)
1.	भोजन, नाश्ता विशेष भोजन, ईंधन	1450	13775
2.	स्कूल यूनिफॉर्म मय सिलाई,(दो ड्रेसेज) जूते–मोजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी	200	1900
3.	सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटाई आदि	80	760
4.	चद्दर, तकिया, खोली एवं खेस आदि धुलाई	40	380
5.	बिजली–पानी	170	1615
6.	समाचार–पत्र, पत्रिकायें आदि	20	190
7.	छात्रावास की साफ सफाई	40	380
	योग	**2000**	**19000**

स्कूल यूनिफार्म, गर्म जर्सी, जूते–मौजे, तौलिये हेतु दी जाने वाली राशि रूपये 1900 / – प्रति छात्र / छात्रा प्रति सत्र एक मुश्त छात्रावास की प्रथम किश्त के साथ ही उपलब्ध कराई जावेगी ताकि विद्यार्थियों को सत्र के आरम्भ में ही यूनिफार्म आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। बढ़ी हुई राशि का उपयोग मदवार किया जावेगा। मद विशेष में बचत रहने पर उस मद राशि का उपयोग अन्य मदों में मैस समिति की बैठक में निर्णय लेकर किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी हाल में कुल व्यय प्रति छात्र / छात्रा प्रतिमाह 2000 / – एवं प्रति सत्र 19000 / – से अधिक नहीं होगा।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 161600714 दिनांक 01.06.2016 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(शकुन्तला सिंह)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

My computer/E/brijehs/other/letter n/183

कृ.प.उ.

111

क्रमांकः एफ 2(9) अ.सं.निदे. / कन्या छात्रावास संचालन / 2010–11 / 7581-7686 जयपुर, दिनांकः 10-6-2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0 शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय 2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. समस्त कोषाधिकारी / उप–कोषाधिकारी, कोषालय।
10. लेखाधिकारी / लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
11. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग को पालनार्थ।
12. रक्षित पत्रावली, कार्यालय हाजा।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

My computer/E/brijehs/other/letter n/184